कार्यालय नगर पंचायत लार, देवरिया

संख्या /न0पं0लार/2011–12 दिनांक 04 अक्टूबर 2011

अतिअल्पकालिक निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भा।0 सं0 8/133/13वां वित्त आयोग द्वितीय किश्त वर्श 2010 –11 दिनांक 28–01–2011 मु0 1154664.00 (ग्यारह लाख चौवन हजार छः सौ चौसठ रूपये मात्र) एवं भा।0 सं0 8/1270/13वां वित्त आयोग वर्श 2011 –12 लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त 2011 मु0 1418088.00 (चौदह लाख अठारह हजार अठासी रुपये मात्र) अर्थात कुल मु0 2572752.00 (पच्चीस लाख बहत्तर हजार सात सौ बावन रुपये मात्र) से कराये जाने वाले नाली/नाला निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया था। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के पत्र सं0 668(7), दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में नगर पालिका, जिला पंचायत, तथा लोक निर्माण विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है, से मुहरबंद निविदाएं दिनांक 13–10–2011 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह तक आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के टी.ए.सी. पटल पर रखी गयी निविदा बाक्स में डाली जायेंगी व उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित भुल्क जमा कर दिनांक 12–10–2011 को 01:00 बजे अपरान्ह तक नगर पंचायत लार कार्यालय व कलेक्ट्रेट देवरिया स्थित एल.वी.सी./टी.ए.सी. पटल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में एन.एस.सी., के.वी.पी., एफ.डी.आर. आदि जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लार के पदनाम बंधक हो मुल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। अनुदान से अधिक व्यय धनराशि का भुगतान राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से किया जायेगा। निविदा सम्बंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत लार से प्राप्त की जा सकती है। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

निर्माण कार्यों का विवरण :–

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड सं0 3 में पोस्ट आफिस के पास पुलिया से पूरब होते हुए पिच रोड के दक्षिण तरफ डाक बंगले तक नाला निर्माण कार्य।	919200.00	18500.00	900.00	15 दिसम्बर 2011 तक	अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए आरक्षित
2	वार्ड सं0 6 व 13 में डाक बंगले से बालेश्वर सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	287700.00	29000.00	300.00	तदैव	
3	वार्ड सं0 6 व 13 में ओ0 के0 एम0 इंटर कालेज गेट से राधेश्याम के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	291800.00	29200.00	300.00	तदैव	
4	वार्ड सं0 6 व 13 में राधेश्याम के मकान से मेन नाला तक पुलिया तथा नाला निर्माण कार्य।	1079100.00	108000.00	1100.00	तदैव	
5	वार्ड सं0 16 में कयूम के बाउन्ड्री से मदरसा तालिमुल इस्लाम होते हुए नफीस मिस्त्री के मकान तक नाला व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	211500.00	21200.00	200.00	तदैव	

नियम एवं शर्तें :–

1– निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– निविदादाता को अपने निविदा के साथ 10 प्रतिशत की दर से जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना

होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।

3– निविदा स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार 7 प्रतिशत जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबंध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

4– ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

5– ठेकेदार को निर्माण कार्य कार्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

6– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

7– निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/न0पं0 द्वारा दिए गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

8– अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण की वरीयता होगी एवं नियमानुसार जमानत धनराशि में छूट दी जायेगी।

9– जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोशजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर, जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी ।

10– निविदादाता को अपनी निविदा स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग–2 दरें मान्य नहीं होंगी।

11– किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

12– सम्बन्धित निर्माण कार्य वर्श 2010–11 व 2011–12 में तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जा रहा है। इसके लिए कोई ठेकेदार/फर्म मालिक किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे।

13– निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

14– किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15– निविदा प्रपत्र पर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

16– निविदा स्वीकृति के पश्चात जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा लिखने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

भवदीय,

(श्रीमती सत्यवंती गुप्ता)
अध्यक्ष
नगर पंचायत लार
देवरिया।